जिल्यन्छ-२ (11-25) उत्तराखण्ड शासन गृह अनुमाग-4 संख्या-738/XX-4/2018-45(कारा0)/2016 देहरादून : दिनांक जि अप्रैल, 2018

कार्यालय–ज्ञाप

मंत्रिमण्डल की बैठक दिनांक 22-03-2018 में पारित निर्णय के क्रम में अधिसूचना संख्या- 662 / बीस-4/2018-45(कारा0)/2016. दिनांकव्ह.04.2018 के द्वारा 'उत्तराखण्ड कारागार विभाग भेषजिक (फार्मासिस्ट)/मुख्य भेषजिक (चीफ फर्मासिस्ट) सेवा नियमावली, 2018' प्रख्यापित की गयी है।

यह नियमावली निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी।

(आनन्द बर्द्धन) प्रमुख सचिव

संख्या-738/XX-4/2018-45(कारा0)/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

- 1. समस्त प्रमुख सचिव/संचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
- मण्डलायुक्त, कुमांऊ / गढ़वाल मण्डल, नैनीताल / पौड़ी।
- पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून।

6. महानिरीक्षक कारागार. उत्तराखण्ड देहरादून।

- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
- 9. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
- 10. समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड।
- 11. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की, हरिद्वार को नियमावली की हिन्दी व अंग्रेजी की प्रतियां संलग्न कर प्रेषित करते हुए इस निवेदन के साथ प्रेषित कि नियमावली को सरकारी गजट पर प्रकाशित कराकर इसकी 150–150 प्रतियां गृह अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 12. अनुभाग अधिकारी, गोपन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 13. गार्ड फाईल।

30017

114

आजा से (अतर सिंह)

(अवर सिंह) संयुक्त सचिव

उत्तराखण्ड शासन गृह अनुभाग–4 संख्या– 662- /XX–4/2018–45(कारा)/2016 देहरादून : दिनांक •6 .'अर्ग्सन,'2018

<u>अधिसूचना</u> प्रकीर्ण

राज्यपाल 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग तथा इस विषय के विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड कारागार विभाग भेषजिक (फार्मासिस्ट)/मुख्य भेषजिक (चीफ फार्मासिस्ट) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्ते विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :--

उत्तराखण्ड कारागार विभाग भेषजिक (फार्मासिस्ट)/मुख्य भेषजिक (चीफ फार्मासिस्ट)

सेवा नियमावली, 2018

भाग - 1

सामान्य

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
- यह नियमावली उत्तराखण्ड कारागार विभाग भेषजिक (फार्मासिस्ट)/ मुख्य भेषजिक (चीफ फार्मासिस्ट) सेवा नियमावली, 2018 कहलायेगी।
 - (2) यह तत्काल प्रभावी होगी।
- 2 उत्तराखण्ड कारागार विभाग भेषजिक एवं उत्तराखण्ड कारागार विभाग मुख्य भेषजिक (राजपत्रित) सेवा एक ऐसी सेवा है, जिसमें कमशः समूह 'ग' व 'ख' के पद सम्मिलित है।

जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में :--

- (क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से भेषजिक के सम्बन्ध में महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड से एवं मुख्य भेषजिक के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन अभिप्रेत है ;
- (ख) 'भारत का नागरिक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो 'भारत का संविधान' के माग–2 के अधीन भारत का नागरिक हो, या भारत का नागरिक समझा जाता है ;
- (ग) 'आयोग' से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभिप्रेत है ;
- (घ) 'संविधान' से भारत का संविधान अभिप्रेत है ;
- (ड़) 'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है ;
- (च) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है ;
- (छ) 'सेवा का सदस्य' से इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त इस नियमावली या आदेशों के अधीन स्थायी रूप से/मूल पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;
- 'सेवा' से उत्तराखण्ड कारागार विभाग भेषजिक सेवा अभिप्रेत है;
 - 'मौलिक नियुक्ति' से अभिप्रेत सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से हैं, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो ; तथा +

'भर्ती का वर्ष' से कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

सेवा की प्रास्थिति

3

(झ)

(3)

परिमाषाएं

भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेंगा। टिप्पणी– जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो वह जारी किया गया हो और न नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पत में जारी कर दिया जाय।

शैक्षणिक अर्हता

8

9

12

सेवा में भेषजिक (फार्मासिस्ट) पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हता होनी चाहिए —

- (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा, जीव विज्ञान या गणित विषय के साथ या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- (दो) सेवा में पदों पर सीधी मर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से भेषजिकी (फॉर्मेसी) का डिप्लोमा रखता
- ' हो तथा स्टेट फॉर्मेसी काउन्सिल, उत्तराखण्ड में पंजीकृत भी हो।
- (तीन) देवनागरी लिपि में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए।

अधिमानी अर्हता

- अभ्यर्थी जिसने :--
 - (एक) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, या
 - (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, अधिमान दिया जायेगा।

सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का नाम उत्तराखण्ड राज्य के किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए।

सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो उस वर्ष की 01 जुलाई को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए ;

परन्तु, यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडा वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए, अधिकतम आयु उत्तनी बढ़ाई जाएगी, जैसा कि विहित किया जाए।

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो, नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

13 पुरूष, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथा यदि कोई महिला जिसके एक से अधिक जीवित पति हो, तो वह सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होगी ; परन्त, यह कि यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के

-3-

लिए विशेष कारण है, तो वह किसी पुरुष या महिला को इस नियम के

अनिवार्य/वांछनीय 10 अर्हता आयु 11

चरित्र

वैवाहिक प्रास्थिति

सेवा संवर्ग

(1) सेवा और उसमें प्रत्येक संवर्ग के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाये।

(2) सेवा के प्रत्येक संवर्ग में पदों की संख्या जब तक उपधारा (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी जो परिशिष्ट-क में दी गयी है;

परन्तु, यह कि-

- (i) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
- (ii) राज्यपाल ऐसे स्थाई अथवा अस्थाई पद सृजित कर सकते हैं जैसा कि वे उचित समझें।

<u>भाग – 3</u> भर्ती

भर्ती का स्रोत

5

6

7

- सेवा में विभिन्न श्रेणीयों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी : 1. मुख्य भेषजिक (चीफ फार्मासिस्ट) :-- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थायी भेषजिकों (फार्मासिस्ट) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
- भेषजिक (फार्मासिस्ट) :- उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
- उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन—जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण सीधी मर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

Ŧ	ाग -	
	अर्ह	ता

राष्ट्रीयता

आरक्षण

- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी -
 - (क) भारत का नागरिक हो, या
 - (ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए. या
 - (ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा केनिया, युगान्डा और संयुक्त तन्जानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रिकी देशों से प्रवंजन किया हो.

परन्तु, यह कि उक्त श्रेणी (ख) या (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्धी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण--पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी उप पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रवत्त पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा,

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है तो पात्रता प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के बाद उसके द्वारा

प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

ोरिक योग्यता

14

15

16

17

(2)

किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उससे –

सेवा के मामले में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो. भाग तीन के अध्याय तीन में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है;

परन्तु, यह कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

परन्तु, यह और भी कि दिव्यांगता अधिकार अधिनियम, 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 49 वर्ष 2016) की घारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा घारा 34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियुक्ति देने से मनौ नहीं किया जायेगा।

भाग- 5

भर्ती प्रक्रिया

रिक्तियों की अक्घारणा

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

मुख्य मेषजिक

भर्ती की प्रक्रिया

(चीफ फार्मासिस्टो)

पद पर पदोन्नति द्वारा

नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की नियम-6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

- (1) उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2008 यथासंशोधित के अन्तर्गत की जायेगी।
 - (2) नियुक्ति प्राधिकारी रिक्त पदों को आगणित करते हुये भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र पर अधियाचन, जिसमें उर्घ्व एंव क्षैतिज आरक्षण के सापेक्ष आरक्षित पदों की ही गणना की जायेगी, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को उपलब्ध करायेंगे।
 - (3) उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विज्ञापन प्रकाशन के उपरान्त् इस नियमावली के अन्तर्गत चयन प्रकिया पूर्ण कर अपनी संस्तुति नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(1) उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिये) नियमावली 2002 के अनुबन्धों के अनुसार गठित विभागीय चयन समिति के माध्यम से की जाएगी।

नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली के अनुसार तैयार करेगा और उन्हें उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेख के साथ जो उचित समझे जायें विभागीय चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) विभागीय चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) विभागीय चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की सूचियाँ तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग - 6

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें की नियम--15 के अधीन तैयार की गई सूची में आये हाँ, नियक्तियाँ करेगा।

- (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरूद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा,
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक—पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अमिलिखित करने होंगे,

परन्तु, यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढाई जायेगी।

- (3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों को
 - पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- (4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- (5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में प्रदान की गयी हो।

परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा यदि-

- (क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो.
- (ख) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है, और
- (ग) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।
 - सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति की ज्येष्ठता समय–समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता) नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

<u>भाग - 7</u> वेतन आदि

22 (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

5

- इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान ऐसे होंगे जैसे परिशिष्ट 'क' में दिये गये हैं।
- 23 (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि स्थायी सरकारी सेवा में नही है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, विमागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, जहां विहित हो समयमान में पृथक वेतनवृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी, तथा दूसरी वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा

स्थायीकरण

गक्ति

परिवीक्षा

18

19

20

21

(2)

ज्येष्ठता

वेतनमान

परिवीक्षा के दौरान वेतन के पश्चात परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी ;

परन्तु, यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा:

परन्तु, यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

- (3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी
 - सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

<u>भाग— 8</u> अन्य प्राविधान

अधियाचन

अन्य विषयों का विनियमन

सेवा शर्तों का शिथिलीकरण

व्यावृत्ति

6.24

26


27

- 24 किसी पद पर या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित संस्तुति लिखित या मौखिक पर विचार नहीं किया जायेगा। अम्यर्थी की ओर से अपनी अम्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अयोग्य कर देगा।
- 25 ऐसे विषयों के संबंध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्ते विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवंतन से किसी विशिष्ट मामले में अनुसूचित कठिनाई हो सकती है, तो वे इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे.

परन्तु, यह कि जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहाँ नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त करने या शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श करना होगा।

इस नियमावली को किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नही पडेगा, जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।



परिशिष्ट- 'क'

{ नियम-4(2) तथा नियम-22(2) देखिए }

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या	
1	भेषजिक (फार्मासिस्ट)	रू० 35400-112400 लेवल-6		
		(02 वर्ष की सेवा के उपरान्त) रू0 44900-142400 लेवल-7	15	
2	मुख्य भेषजिक (मुख्य फार्मासिस्ट)	रू० 56100-177500 लेवल-10	04	



GOVERNMENT OF UTTARAKHAND HOME SECTION-4 No - 662/XX-4/2018-45(Karagar)/2016 Dehradun, Dated :06/AFEL) 2018

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing Rules and order on the subject, the Governor is pleased to make the following Rules regulating recruitment and the condition of service of persons appointed to the Uttarakhand Jail Department Pharmacist/Chif Pharmacist Service.

UTTARAKHAND JAIL DEPARTMENT PHARMACIST/ CHIEF PHARMACIST SERVICE RULE, 2018

PART-1 GENERAL

Short title and commencement	1	 These Rules may be called Uttarakhand Jail Department Pharmacist/Chief Pharmacist Service Rule, 2018. These rules shall come into force at once.
Status of the Service	2	The Uttarakhand Jail Department pharmacist and Uttarakhand Jail Department Chief pharmacist services are such as service in which there are Group 'B' & Group 'C' Posts are included.
Definitions	3	 In these rules unless there is anything repugnant in the subject or content (a) 'Appointing Authority' means Inspector General of Jail, Uttarakhand in case of Pharmacist and Principal Secretary/Secretary Home Department Uttarakhand Government in case of Chief Pharmacist; (b) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution; (c) 'Commission' means the Uttarakhand Subordinate Service Commission'; (d) 'Constitution' means the Constitution of India; (e) 'Government' means the State Government of Uttarakhand; (f) 'Governor' means the Governor of Uttarakhand; (g) 'Member of the Service' means a person substantively appointed under these rules of or order in force prior to the commencement
		 of these rules to a post in the cadre of the service; 'Service' means the Uttarakhand Jail Pharmacist service; 'Substantive appointment' means an appointment, not being an ad hoc appointment, on a post in the cadre of the service and made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance, with the procedure prescribed for the time being by executive instruction issued by the Government; and 'Year of recruitment' means a period of twelve months

commencing from the first day of July of a calendar year.

Cadre of Service

1-14

PART-2 CADRE

- The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.
- (2) The strength of the service and each category of posts therein, until orders varying the same are passed under sub-rule(1) shall remain same as given in Appendix 'A'; Provide that -
- The appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation;
- (ii) The Governor may create such additional permanent and temporary post as he may deems fit.

PART-3

RECRUITMENT

Recruitment to the various categories of the post in the service shall be made from the following sources -

- Chief Pharmacist Recruitment by promotion to the post of Pharmacist, who has completed his minimum 12 years service, by Departmental Selection Committee on the basis of seniority.
- (2) Pharmacist By direct recruitment through Uttarakhand Subordinate Service Commission.

Reservation for the candidates belonging to Schedule Castes, Scheduled tribe, Other backward classes and other Categories belonging to the State of Uttarakhand shall be accordance with the order of the Government in force at the time of the recruitment.

PART-4 QUALIFICATION

A candidate for direct recruitment to a post in the service must be -

(a) A citizen of India ; or

(c)

(b) A Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

A person of Indian origin has migrated from Pakistan, Burma, Srilanka or any of the East African counties of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formally Tanganika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above, must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government :

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility, granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch Uttarakhand :

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

Note – A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Reservation

Source of Recruitment

Nationality

'emic Qualification

Preferential Qualification

10

11

12

13

14

Mandatory/Desirable Qualification Age

Character

Marital Status

Physical Fitness

A candidate for the direct recruitment to the post of Pharmacist should possess the following qualifications:

- It is necessary to pass intermediate exam with biology or mathamatics from Board of Secondary Educatoin, Uttarakhand or any equivalent exam recognized by the government.
- (ii) For direct recruitment on posts in the service, it is necessary that the candidate holds a pharmacy diploma from a recognized institution and also registered in state pharmacy council uttarakhand.
- (iii) Working knowledge of Hindi in Devnagri script.
- A candidate who has -
- Served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or
- Obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps, shall be given preference.

For direct recruitment this is mandatory that the candidate name shall be registered in any employment office of Uttarakhand State.

A candidate for direct recruitment if Posts are advertised between 01 January to 30 June, than 1 January of the year of recruitment, must have attained the age 21 years and must not have attained the age of more than 42 years and if posts are advertised between 01 July to 31 December, then on 1 July of the year of recruitment, must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 21 years

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be increased by such number of years as may be prescribed.

The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respect for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

Note – Person dismissed by the union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

A male candidate who has more than one wife living and A female candidate who has more than one husband living or shall not be eligible for appointment to a post in the service ;

Provided that the Government may, if satisfy that there exist special grounds for doing so, exempt any male or female from the operation of this rule.

No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interface with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required :-

In the case of Services it is required to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental rule 10, contained in chapter III of the Financial Handbook, Volume II, Part III ;

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

Provided further that disabled person shall not be denied to appoint on the post identified for this purpose in order of section 33 and in categories identified under section 34 of "The person with Disability Act, 2016 (central act no.49 year 2016)".

PART - 5 PROCEDURE FOR RECRUITMENT

15 The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the years as also the number of vacancies to be reserved for candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other Categories belonging to the State of Uttarakhand under rule 6 and shall intimate to commission.

- (1) The direct recruitment of posts of Group 'C' (Outside the Purview of Uttarakhand Public Service Commission) by Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission shall be done under Recruitment rule, 2008 as amended.
- (2) Appointing authority shall provide requisition for recruitment to the Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission in prescribed proforma computing the vacant post. Wherein reserved post proportional to the vertical and horizontal reservation shall be computed only.
- (3) Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission after publication of the advertisement, shall complete the selection process under this Rule and submit his recommendation to Appointing Authority.
- (1) Uttarakhand Departmental Promotion Committee shall be constituted through the departmental selection committee constituted in accordance with the provisions of Rules 2002 for the post of outside the Preview of Public Service Commission.
- (2) The Appointing Authority shall prepare an eligibility list of (for the post of outside the Preview of Public Service Commission) Rules, 2002 the candidates arranged in order of seniority, and place it before the Selection Committee along with their character rolls and such other record, pertaining to them, as may be considered proper.
- (3) The Departmental Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of the records, referred to in sub-rule (2), and, if it considers necessary, it may interview the candidates also.
- (4) The Departmental Selection Committee shall prepare a list of selected, candidates and forward the same to the Appointing Authority.

PART-6

APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment18The Appointing Authority shall make appointment by taking the names of
candidate in the order in which they stand in the list prepare under rule 15.Probation19(1)A person on appointment to a post or service in or against a
permanent vacancy shall be placed on probation for a period of
two years.

(2) The Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases, specifying the date upto which the extension is granted.

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in

Determination of vacancies

Procedure of Direct Recruitment

Procedure of recruitment of Chief Pharmacist by Promotion

t 17

16

y

no circumstances beyond two years.

(3)

If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of probation and extend period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his service may be dispensed.

- (4) A probationer who is reverted or whose service are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.
- (5) The Appointing Authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post including in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation

A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of the probation -

His work and conduct is reported to be satisfactory.

(b) His integrity is certified, and

) The Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority of substantively appointed people may be determined by the applicable Uttarakhand Government Servant Seniority Rule, 2002 from time to time.

PART - 7

PAY ETC.

The pay scale admissible to person appointed to various category of post shall be as such as may be determined by the Government from time to time.

The pay scale at the time of commencement of this rule is given in Appendix 'A'.

Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service has passed departmental examination and undergone training where prescribed and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed.

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not be counted for increment unless the appointing authority directs otherwise.

The pay during promotion of a person who was already holding a post under the Government shall be regulated by the relevant fundamental Rules.

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not be counted for increment unless the appointing authority directs otherwise.

Confirmation20
(a)
(b)
(c)Seniority21Pay scale22(1)(2)Pay during probation23(1)

(2)

(3)

26

27

The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant Rules, applicable generally to Government Servants serving in connection with the affairs of the State

PART - 8 OTHER PROVISIONS

Canvassing

Regulation of other matters

Relaxation from the condition of service

Savings

24 No recommendations, either written or oral, other than those required under these rules applicable to the post or Service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

25 In regard to the matters not specifically covered by these rules or by special orders, persons appointed to the Service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the state.

Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of Service of person appointed to the Service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner:

Provided that if a rule was framed in consultation with the Commission the requirements of that rule shall not be dispensed with or relaxed without the Commission being consulted before hand.

Nothing in these Rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidate belonging to the scheduled castes, scheduled tribes and other special categories of person in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard

order.

(Anand Bardhan) Principal Secretary APPENDIX --- 'A' { (See Rule 4(2) and Rule-22(2) }

SL. No.	Name of Post	Pay Scale	Sanction Post
1	Pharmacist	Rs.35400-112400 Level-6	
		(After 02 Year Service) Rs. 44900-142400 Level-7	15
2	Chief Pharmacist	Rs. 56100-177500 Level-10	04